न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

GCMS NO. - 2006/00085
मिसल संख्या 84 / 2006

हरिनारायण दास चेला चतरभुज दास जाति बैरागी निवासी शोपिंग सेन्टर जिला कोटा
.....वादी

बनाम

श्री विजेन्द्र दास चेला रामस्वरूप दास जाति बैरागी निवासी छोटी बड़ी बैठक किशोरपुरा कोटा

.....प्रतिवादी

–:निर्णय:–

(वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी राजस्व अधिनियम 1955)

दिनांक 18/5/26

उपस्थिति–
1. वादी अभिभाषक श्री तेजमल जैन

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई प्रकरण निम्न प्रकार है:–

वादी के खाते मे ग्राम किशोरपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा मे खसरा संख्या 4 की 0.02 है0, खसरा संख्या 5 की 0.03 है0, खसरा संख्या 6 की 0.11 है0, खसरा संख्या 7 की 0.06 है0 कुल चार किता की 0.21 है0 भूमि स्थित है। दिनांक 11 जुलाई 1999 को प्रतिवादी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर वादी के खाते की खसरा संख्या 7 की 0.06 है0 पर जबरन कब्जा कर लिया तथा इसके चारों ओर पक्की दीवार बनी हुई थी। साथ ही अन्य सामान जैसे लोहे का पलंग बर्तन इत्यादी भी उठा ले गये जिसकी दिनांक 12.7.99 को थाना किशोरपुरा कोटा मे करवाई गयी है। प्रतिवादी ने उक्त भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर वादी की अन्य खसरा नम्बरान 4, 5, 6 की भूमि के संबंध मे भी आपत्ति करने लग गये है। वादी को तथा वादी के समर्थकों को उक्त समस्त भूमि मे आने जाने से अवरोध उत्पन्न करने लग गये है।

अतः वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी को खसरा संख्या 7 की 0.06 है0 भूमि से बेदखल कर वादी को कब्जा दिलवाया जावे तथा वादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादी व वादी के अनुयाइयों को खसरा संख्या 4, 5, 6 की भूमि पर आने–जाने मे किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही करे।

प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते जवाब दावा पेश किया जो निम्नानुसार है:–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232687

प्रतिवादी की छोटी बडी बैठक जो खसरा संख्या 8 व 9 पर बनी हुई है, जिसकी प्रतिवादी व्यवस्थापक एवं पुजारी है तथा काबिज है, और छोटी बडी बैठक की सम्पति की व्यवस्था करता है व देखभाल करता है।

छोटी बडी बैठक के उत्तर मे चम्बल नदी है, और कोई भूमि छोटी बडी बैठक के उत्तर दिशा मे नही है न ही वादी की भूमि छोटी बड़ी बैठक के पास स्थित है क्योकि वादी की जो भूमि खसरा संख्या 4, 5, 6 व 7 की थी वह चम्बल नदी की डूब मे जा चुकी है तथा मौके पर वादी की कोई भूमि नही है वादी को उसकी भूमि चम्बल नदी की डूब मे जाने के कारण शोपिंग सेन्टर कोटा मे लैण्ड फोर लैण्ड राज्य सरकार द्वारा दे दी गई है जिस पर उसने दुकानों का निर्माण कर लिया व वादी वही पर निवास करता है।

वादी द्वारा दिनांक 12.07.1999 को रिपोर्ट दर्ज करवाना स्वीकार है, जिसे किशोरपुरा थाना द्वारा पूर्ण जांच करने के बाद एफ0आर0 लगा दी गई है, जिसमे पटवारी हल्का ने अपने बयान मे बताया है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी की है तथा मौके पर वादी की काई भूमि नही है, जो भूमि वादी की थी व खसरा संख्या 4, 5, 6 व 7 थी जो चम्बल नदी मे डूब मे जा चुकी है। इसलिए मौके पर वादी की कोई भूमि नही है।

वादी जबरन प्रतिवादी की भूमि पर जिस पर बाउन्ड्रीवॉल हो रही है व पेड लगे हुये है, जिस पर प्रतिवादी का ही कब्जा है व काबिज है जिससे वादी का कोई संबंध नही है।

सरकार द्वारा वादी की भूमि चम्बल नदी मे डूब मे आ जाने से उसे लैण्ड फोर लैण्ड दे दी गई है। तथा छोटी बड़ी बैठक के पास कोई भूमि वादी की नही लेकिन वादी द्वारा लैण्ड फोर लैण्ड भूमि प्राप्त कर लेने के बावजूद भी वादी की नियत मे बदनियती आ गई है। व वादी इस वादी आड मे अवैध रूप से प्रतिवादी की कब्जे की छोटी बड़ी बैठक की भूमि पर कब्जा करने के प्रयास मे है। इस कारण वादी झुठे तथ्यों के आधार पर यह वाद लाया गया है जो हर प्रकार से निरस्तनीय है।

जवाब दावा की प्रक्रिया के उपरांत प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई–

1. क्या वादी ग्राम किशोरपुरा की खसरा संख्या 4, 5, 6 व 7 का खातेदार है ? (वादी)
2. क्या प्रतिवादी ने जुलाई 1999 मे वादी की खसरा नम्बर 7 की 0.06 है0 आराजी पर अतिक्रमण कर लिया है? (वादी)
3. क्या प्रतिवादी वादी की खसरा संख्या 4, 5, 6 की भूमि मे वादी के आने जाने मे आपत्ति करता है ? (वादी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

4. क्या खसरा संख्या 4, 5, 6 व 7 की भूमि चम्बल नदी मे डूब चुकी है ? (प्रतिवादी)
5. क्या वादी विवादित भूमि के डूब मे आ जाने के बदले शोपिंग सेन्टर मे लैण्ड फोर लैण्ड प्राप्त कर चुका है? (प्रतिवादी)
6. क्या प्रतिवादी 5000/– रूपये विशेष हर्जा प्राप्त करने का अधिकारी है? (प्रतिवादी)
7. सहायता

तनकीयात कायम किये जाने के उपरांत पत्रावली साक्ष्य वादी वास्ते नियत की गई। साक्ष्य वादी में वादी हरीनारायण चेला चतुर्भु दास जी, राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री अक्षयराज जी शर्मा एवं अक्षयराज शर्मा आत्मज श्री रामगोपाल जी का साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुआ। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वादी एवं वादी गवाह से जिरह की गई।

साक्ष्य वादी की प्रक्रिया के उपरांत पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी वास्ते नियत की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में विजेन्द्रदा चेला रामस्वरूप दास एवं रमेश चंद पुत्र माधोलाल का साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुआ। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी एवं प्रतिवादी गवाह से जिरह की गई।

साक्ष्य की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पत्रावली बहस अंतिम वास्ते नियत की गई।

बहस सुनी गई,।

हमने पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया एवं बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।
उक्त परिस्थितियों मे तनकी वार विवेचन निम्न प्रकार है –

तनकी नं0 1 – क्या वादी ग्राम किशोरपुरा की खसरा संख्या 4, 5, 6 व 7 का खातेदार है ?

उक्त तनकी का साबित करने का भार वादी पर है। पत्रावली मे संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का लाडपुरा के अनुसार खसरा संख्या 4, 5, 6, व 7 की आराजी हरिनारायण दास चेला चतुरभूज दास बेरागी के नाम दर्ज रिकोर्ड है। अतः तनकी नं0 1 बहक वादी तय की जाती है।

तनकी नं0 2– क्या प्रतिवादी ने जुलाई 1999 मे वादी की खसरा नम्बर 7 की 0.06 है0 आराजी पर अतिक्रमण कर लिया है?

उक्त तनकी का साबित करने का भार वादी पर है। पत्रावली मे संलग्न रिपोर्ट पटवारी अनुसार खसरा नम्बर 4, 5, 6, व 7 की आराजी पानी मे डुबी हुई है। न्यायालय द्वारा पुनः रिपोर्ट मांगे जाने पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा अंकित किया गया है कि मौके की स्थिति के अनुसार खसरा संख्या 4 और 5 की भूमि पूर्णतया पानी मे डुबी हुई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

परन्तु बिना सीमा ज्ञान के खसरा संख्या 6 व 7 की स्थिति स्पष्ट नही हो सकी है। स्पष्ट स्थिति हेतु भू प्रबंध विभाग के इंस्पेक्टर व आमीन को आदेशित किया जाना अपेक्षित है।

पत्रावली मे संलग्न जिरह से प्रमाणित होता है कि प्रार्थी द्वारा दौराने जिरह स्वयं स्वीकार किया गया है कि खसरा संख्या 4, 5, 6, व 7 मे काश्तकारी नही होती है। भूमि आबादी मे है। प्रार्थी द्वारा एक मुकदमा इसी जमीन का सिविल कोर्ट मे किया गया था जो खारिज हो चुका है। प्रार्थी द्वारा दौराने जिरह यह भी स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध एफआई आर दर्ज करवाई गयी थी जिसमे एफआर लग गई थी।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य या शहादत प्रस्तुत नही की गई है जो यह प्रमाणित कर सके कि प्रतिवादी द्वारा खसरा संख्या 7 की भूमि पर अतिक्रमण किया गया हो। अतः तनकी नं0 2 विरूद्ध वादी तय की जाती है।

तनकी नं0 3—क्या प्रतिवादी वादी की खसरा संख्या 4, 5, 6, की भूमि मे वादी के आने जाने मे आपत्ति करता है ? (वादी)

उक्त तनकी का साबित करने का भार वादी पर है। तनकी नं0 2 मे किये गये विवेचन से प्रमाणित है कि वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध सिविल कोर्ट मे मुकदमा दायर किया गया था तथा पुलिस मे एफआईआर भी दर्ज करवाई गयी जो खारिज हो चुकी है। दौराने जिरह वादी द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि वह पिछले 30 वर्षो से शोपिंग सेन्टर मे निवास करता है तथा वर्तमान मे हस्तगत आराजी पर आता जाता नही है।

उक्त तथ्य यह प्रमाणित करता है कि वादी स्वयं हस्तगत आराजी पर आता—जाता नही हैं उक्त आधार पर तनकी नं0 3 विरूद्ध वादी तय की जाती है।

तनकी नं0 4— क्या खसरा संख्या 4, 5, 6 व 7 की भूमि चम्बल नदी मे डूब चुकी है ?

उक्त तनकी का साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। पत्रावली मे संलग्न रिपोर्ट पटवारी अनुसार खसरा नम्बर 4, 5, 6, व 7 की आराजी पानी मे डुबी हुई है। न्यायालय द्वारा पुनः रिपोर्ट मांगे जाने पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा अंकित किया गया है कि मौके की स्थिति के अनुसार खसरा संख्या 4 और 5 की भूमि पूर्णतया पानी मे डुबी हुई परन्तु बिना सीमा ज्ञान के खसरा संख्या 6 व 7 की स्थिति स्पष्ट नही हो सकी है। स्पष्ट स्थिति हेतु भू प्रबंध विभाग के इंस्पेक्टर व आमीन को आदेशित

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

किया जाना अपेक्षित है। उक्त तथ्य यह प्रमाणित करते है कि हस्तगत आराजी का अधिकांश भाग पानी मे डुबा हुआ है। दौराने जिरह वादी द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि "यह बात गलत है कि भूमि डुब मे जाने का मुआवजा मिला हो बल्कि मंदिर की भूमि जो डुब मे गई उसका मुआवजा मिला था।" प्रार्थी के उक्त कथन से प्रतिवादी का यह कथन प्रमाणित होता है कि वादी को उसकी भूमि चम्बल नदी की डुब मे जाने के कारण शोंपिग सेंटर कोटा मे राज्य सरकार द्वारा लैण्ड फौर लैण्ड भूमि दे दी गई थी। जिस पर उसने दुकानों का निर्माण कर लिया व वादी वही पर निवास करता है। उक्त तथ्य को वादी द्वारा स्वयं भी दौराने जिरह स्वीकार किया गया है। अतः तनकी नं0 4 बहक प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0 5– क्या वादी विवादित भूमि के डूब मे आ जाने के बदले शोपिंग सेन्टर मे लैण्ड फोर लैण्ड प्राप्त कर चुका है?

उक्त तनकी का साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। तनकी नं0 4 मे किये गये विवेचन से प्रमाणित है कि प्रार्थी के मंदिर की आराजी डुब क्षेत्र मे आने के कारण वादी को शांपिग सेंटर मे लैण्ड फौर लैण्ड भूमि प्राप्त हुई थी। दौराने जिरह प्रार्थी द्वारा स्वंय भी यह स्वीकार किया गया कि प्रार्थी को मंदिर की भूमि डुब मे आने के परिणामस्वरूप मुआवजा मिला था। उक्त परिस्थिति मे तनकी नं0 5 बहक प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0 6– क्या प्रतिवादी 5000/– रूपये विशेष हर्जा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

उक्त तनकी का साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। तनकी नं0 1 से यह प्रमाणित है कि खसरा संख्या 4, 5, 6, व 7 की आराजी प्रार्थी के खातेदर्ज रिकोर्ड है। तथा हस्तगत आराजी के अधिकांश भाग मे पानी भरा हुआ है। उक्त परिस्थिति मे विवाद उत्पन्न होना लाजमी है। अतः प्रतिवादी किसी विशेष हर्जे का हकदार नही है। तनकी नं0 6 विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

तनकी नं0 7– सहायता

तनकी नं0 1 से यह तो प्रमाणित है कि ग्राम किशोरपुरा के आराजी खसरा संख्या 4, 5, 6 व 7 वादीके खाते दर्ज रिकोर्ड है। लेकिन वादी यह प्रमाणित करने मे असफल रहा है कि प्रतिवादी द्वारा खसरा संख्या 7 की आराजी पर अतिक्रमण किया गया हो। तहसील रिपोर्टो से यह प्रमाणित है कि हस्तगत आराजी का अधिकांश भाग पानी मे डुबा हुआ है। तथा प्रार्थी द्वारा मंदिर की भूमि के डुब मे आने के कारण मुआवजा प्राप्त किया गया है। तथा प्रार्थी उक्त मुआवजे से शोंपिंग सेंटर मे निर्मित भवन मे निवास करता है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

उक्त आधार पर जबकि तनकी नं0 2 व 3 विरूद्ध वादी तय की गई है। तथा तनकी नं0 4 व 5 बहक प्रतिवादी तय की गई है, वादी किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

डिक्री परचा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी, कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा